न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
52 / 2015 प्रा.पत्र / 2015	12.06.2015	29.11.2024

मदन लाल गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री बाबु लाल मीणा पुत्र श्री रामलाल उर्फ रामा मीणा दूध विक्रता निवासी धुवांला पो0 धुवांला तह0 जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज0)।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011।

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री अजय सिंह सोलंकी उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 29.11.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2015 को समय 11:02 ए.एम. पर गणेश रोड देवली जिला टोंक पर पहुॅचा वहॉ पर श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री रामलाल उर्फ रामा मीणा दूध विक्रता मोटर साईकिल(सुजूकी) नं0 आर जे 06 एस एफ 9830 पर दो लोहे के ड्रम 40–40 लीटर क्षमता वाले में कुल 60–70 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय हेतु लेकर आता हुआ मिला। श्री बाबूलाल मीणा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तो अप्रार्थी ने अपने आप को दूध विक्रेता बताया तथा लोहे के ड्रम में भरे दूध को भैंस / गाय / बकरी का मिश्रित दूध (Mixed Milk) होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोटरसाईकिल पर लटके हुए ड्रमों को उतारकर ड्रमों में रखे दूध का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु मिक्सड मिल्क का एक ड्रम का चयन कर उसमें लगभग 20 लीटर **मिक्सड मिल्क** भरा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री शंकर लाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी. ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री शंकर लाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

भातेरवत जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मिक्सड मिल्क** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, कुल 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड मिल्क** 2 लीटर को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 500–500 एम.एल **मिक्सड मिल्क** भरकर प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–915 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–915 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/15/1302 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./88/एक्ट/2015/86 दिनांक 18.02.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिक्सड मिल्क** का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अजय सिंह सोलंकी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र Milk fat के लिए किए गए जांच में उक्त खाद्य पदार्थ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है, जो खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.11.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन ओकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0